न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 399/2015

वादीगण :-

1. सुवादेवी बेवा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
2. सेठू पुत्र स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
3. सोनू पुत्र स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
4. सुरेश पुत्र स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
   नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता
   सुवादेवी बेवा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
   जातियान-नायक, निवासीगण-बलून्दा,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार जैतारण,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.12.06.2015

उपस्थितः- 1. वादीगण स्वयं उपस्थित।
2. तहसीलदार, जैतारण स्वयं उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा पर बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैताराम में वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1475 कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वर्तमान जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में खातेदार भीका, मटीगा पि. छोगा कौम नायक, साकिन बलून्दा इन्द्राज हैं तथा मटीगा उर्फ मीठूराम दिनांक 10.10.2012 को फौत होने पर उसके विधिक वारिसान वादीगण के नाम म्यूटेशन इन्द्राज होना चाहिए था। लेकिन वादीगण के पति / पिता मटीगा का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने से वादीगण के नाम म्यूटेशन नहीं हुआ हैं। जबकि मटीगा के बचपन में उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा मटींगा नाम से सम्बोधित करते थे। इसलिये मटीगा का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया हैं, जो गलत ऐन्ट्री लगातार चली आ रही है। जबकि मटीगा के जीवनकाल में राशन कार्ड, मिनी सहकारी बैंक की बचत खाता पासबुक में उसका सही नाम मीठूराम दर्ज था। इस प्रकार मटीगा व मीठूराम एक ही व्यक्ति का नाम हैं। नकल प्रमाणित राशन कार्ड, मिनी सहकारी बैंक की बचत खाता पास बुक तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2067 से 2070 वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम की सेवा, चाकरी सुश्रूषा वादीगण द्वारा बतौर पुत्र / पत्नी होने के नाते की थी। इस प्रकार स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम का दिनांक 10/10/2012 को फौत हो गया। स्वं मटीगा उर्फ मीठूराम के फौत होने पर सामाजिक रिति रिवाज से उसकी अंत्येष्ठि, अस्थ्यिों को गंगातल में प्रवाहित की तथा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम के किया-कर्म, बारवां वादीगण द्वारा किये

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गये। तमाम खर्चा वादीगण द्वारा वहन किया गया। स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। वादीगण स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम के जीवनकाल से ही उसकी तमाम चल व अचल सम्पति का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से करते आ रहे है। अब वादीगण द्वारा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम की खातेदारी में अपने नाम की एन्ट्री करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 12/05/2015 को गये तब उनके द्वारा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, तब वादीगण द्वारा स्व0 मटीगा उर्फ मीठूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र को पटवारी हल्का के समक्ष पेश किया। पटवारी हल्का ने उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर कहा कि " मृत्यु प्रमाण पत्र " में मटीगा का नाम मीठूराम दर्ज हैं। मटीगा के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लाने का कहा लेकिन मटीगा नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। क्योंकि मटीगा नाम से कोई सबूत नही हैं तथा मीठूराम से मृत्यु प्रमाण पत्र एक बार जारी करवा लिया हैं, ऐसी स्थिति मे पटवारी हल्का ने वादीगण के पक्ष में म्यूटेशन भरने से स्पष्ट मना कर दिया तथा श्रीमान के न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की बात कही। इसलिए श्रीमान के समक्ष वादीगण द्वारा यह घोषणा का वाद पत्र पेश किया हैं। इस प्रकार वादीगण का राजस्व रेकर्ड में स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम के स्थान पर नाम इन्द्राज नहीं होता हैं, तो वादीगण को अपने जायज साम्पैतिक हक हकूकों व अधिकारों से महरुम होना पडेगा तथा वादीगण को असीम हानि होगी। जिसका मूल्याकंन रुपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए वादीगण का राजस्व रेकर्ड में स्व. मटीगा के स्थान पर नामान्तरकरण इन्द्राज कर वादीगण को उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश फरमावें। वादपत्र में प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण को पक्षकार बनाया गया हैं, जो भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने से बनाया गया हैं। कानूनन इनके विरुद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व इनको दो माह का धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर वादपत्र पेश करने की अनुमति देने का आदेश फरमावें। अनुमति बाबत अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पेश हैं। बिनायवाद वादीगण द्वारा मटीगा की खातेदारी में अपने नाम की एन्ट्री करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 12/05/2015 को गये, तब उनके द्वारा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, तब वादीगण द्वारा स्वं मटीगा उर्फ मीठूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र को पटवारी हल्का के समक्ष पेश किया। पटवारी हल्का ने उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर कहा कि " मृत्यु प्रमाण पत्र " में मटीगा का नाम मीठूराम दर्ज हैं। मटीगा के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लाने का कहा लेकिन मटिगा नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सकता क्योंकि मटीगा नाम से कोई सबूत नहीं हैं ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का ने वादीगण के पक्ष में म्यूटेशन भरने रो स्पष्ट मना कर देने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण में वाद कारण पैदा हुआ हैं। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। तथा अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने मौका जांच रिपोर्ट / जबाब पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण स्वयं उपस्थित आए। तहसीलदार, जैतारण ने जाहिर किया हैं कि छोगाराम पुत्र भींयाराम कौम-नायक, निवासी-बलून्दा के दो पुत्र भीकाराम व मीठूराम थे। मीठूराम को बचपन में मटिंगा नाम से पुकारा जाता था। मटिंगा व मीठूराम नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि मटिंगा उर्फ मीठूराम पुत्र छोगाराम नायक नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं तथा मीठूराम (मटिंगा) की मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

10/10/12 को हो चुकी हैं तथा सरपंच ग्राम पंचायत–बलून्दा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 12/06/2015 में भी मीठूराम व मटिंगा के नाम का एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि होती हैं। उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता का नाम मटिंगा पुत्र छोगा दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता का वास्तविक नाम मटिंगा उर्फ मीठूराम पुत्र छोगाराम नायक दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलून्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। दस्तावेजात अनुसार मटिंगा गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता का वास्तविक नाम मटिंगा उर्फ मीठूराम पुत्र छोगाराम नायक होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक तहसीलदार, जैतारण की मौका जांच रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत एवं सरपंच ग्राम पंचायत–बलून्दा द्वारा प्रमाण पत्र के अनुसार वाद स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम मटिंगा जाति–नायक, निवासी–बलून्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम मटिंगा उर्फ मीठूराम पुत्र छोगाराम नायक दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक तहसीलदार, जैतारण की मौका जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा, तहसील–जैताराम में वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1475 कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता के गलत दर्ज नाम मटिंगा पुत्र छोगा के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम मटिंगा उर्फ मीठूराम पुत्र छोगाराम नायक दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बलून्दा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

तईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादीगण :–

1. सुवादेवी बेवा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
2. सेदू पुत्र स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
3. सोनू पुत्र स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम
4. सुरेश पुत्र स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम

नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुवादेवी बेवा स्व. मटीगा उर्फ मीठूराम जातियान–नायक, निवासीगण–बलून्दा, तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 399/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी वादीगण स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक तहसीलदार, जैतारण की मौका जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा, तहसील–जैताराम में वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1475 कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता के गलत दर्ज नाम मटिंगा पुत्र छोगा के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम मटिंगा उर्फ मीठूराम पुत्र छोगाराम नायक दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल रोवा केन्द्र बलून्दा में आज तारीख 12/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	07	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	–	मुत्फरिक		
मिजानः–	11	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner